

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,	प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
---	---

विषय: वर्ष 2014-15 में सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2014-15 में राजकीय सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य सरकार के पत्रांक प.18(5)त.शि/2004 दिनांक 13.5.14 की पालना में विद्यार्थियों से ली जाने वाली शुल्क संरचना में परिवर्तन किया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में से 400/-रूपये प्रति छात्र की दर से राजकीय मद में जमा होगी। शिक्षण शुल्क की शेष राशि संस्थान विकास कोष में जमा होगी :-

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकीय खाता						
प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	---	---	---	---	---	200.00
शिक्षण शुल्क	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	4150.00
अराजकीय खाता						
विविध मद	500.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
पुस्तकालय खुली पुस्तके (ओपन एक्सेस) शुल्क	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	1000.00
विद्यार्थी क्लब/ समी शुल्क	150.00	150.00	250.00	250.00	250.00	500.00
खेलकूद शुल्क	150.00	150.00	250.00	250.00	250.00	500.00
विकास शुल्क	2650.00	2650.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
अवधान द्रव्य छात्रों के लिए (केवल प्रवेश के समय)	---	---	---	---	---	1000.00
अवधान द्रव्य सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं के लिए (केवल प्रवेश के समय)	---	---	---	---	---	500.00

नोट:-

- राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार सत्र 2001-2002 से विकास शुल्क में रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष प्रति छात्र/छात्राओं की वृद्धि की गई है। जिसका उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/साफ्टवेयर क्रय /मरम्मत एवं क्रमोन्वयन में नियमानुसार किया जावे।
- शुल्क सत्र के प्रारम्भ व मध्य में (दो किशतों में) लिया जावेगा।

भवदीय,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक: एफ-5(1-बी)प्राशिनि/ई-2/2013-14/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 18(5)त.शि/2004 दिनांक 13.5.14 के क्रम में।
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय खैतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, झालाना डूंगरी जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, /सहायक निदेशक, (सांख्यिकी) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर/अजमेर।

राजस्थान सरकार
जोधपुर
प्रतिलिपि :- प्रभारी वेबसाइट को मेज़कर लेख है, कि उक्त फीस अर्द्ध थी वेबसाइट पर अपलोड करें।

4/6/14
दि. 4/6/14
Govt. Polytechnic Coll.,
KOTA